न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 120 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/140)

पंजीयन दिनांक– 25.02.2021

निर्णय दिनांक– 10.09.2021

1. श्री शंकरलाल पिता स्व. बंशीलाल शर्मा, निवासी खडागा, (दौलतपुरा), तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री बाबुलाल पिता स्व. बंशीलाल शर्मा, निवासी खडागा, (दौलतपुरा), तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्री शंभूलाल पिता स्व. बंशीलाल शर्मा, निवासी खडागा, (दौलतपुरा), तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़।
4. पार्वतीबाई पुत्री स्व. बंशीलाल शर्मा, निवासी खडागा, (दौलतपुरा), तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़।
5. प्रेमबाई पुत्री स्व. बंशीलाल शर्मा, निवासी खडागा, (दौलतपुरा), तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़।
6. नाराणीबाई पत्नि स्व. बंशीलाल शर्मा, निवासी खडागा, (दौलतपुरा), तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, रावतभाटा, तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़।
2. ग्राम पंचायत टोलो का लुहारिया द्वारा सरपंच, तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्री बंशीलाल पिता गोपीलाल धाकड तथाकथित व्यवस्थापक श्मशान समिति, दौलतपुरा, तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री संजय सेन – अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री पी. सी. पालीवाल – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के आदेश
क्रमांक / राजस्व / 12–6(13)14 / 1622 दिनांक 30.09.2014

निर्णय

दिनांक 10.09.2021

अपीलांट्स द्वारा यह अपील विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के आदेश क्रमांक/राजस्व/12–6(13)14/1622 दिनांक 30.09.2014 के विरूद्ध दिनांक 22.01.2018 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र वास्ते स्थगन आदेश के साथ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ को पेश की गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में दिनांक 24.12.2019 को दर्ज की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449–50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 25.02.2021 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि आराजी नम्बर 162 वाके मौजा दौलतपुरा अपीलांट्स के खातेदारी की आराजी नम्बर 161 रकबा 1.84 हैक्टेयर से मिली होकर पूर्णतया आबाद है और इस पर काबिज होकर लगभग 50 वर्ष से अपीलांट्स के पिता स्वर्गीय श्री बंशीलाल के समय से काश्त करते चले आ रह है। उक्त आराजी नम्बर 162, आराजी नम्बर 161 एंव सार्वजनिक सड़क के मध्य स्थित होकर लम्बी पट्टी के रूप में है, जिसे अपीलांट्स द्वारा आबाद कर अपनी खातेदारी की भूमि में मिला रखा है तथा लगातार कृषि कार्य कर रहे है। अपीलांट्स के खातेदारी की भूमि से सड़क पर पहुंचने का मार्ग इसी आराजी में होकर है, क्योंकि अपीलांट की खातेदारी की आराजी के अन्य दिशाओं में सार्वजनिक नाला व अन्य लोगों की भूमि आ जाने से अन्य कोई रास्ता मौके पर संभव ही नही है। उक्त आराजी को अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के

आदेश क्रमांक / राजस्व / 12–6(13)14 / 1622 दिनांक 30.09.2014 से दौलपुरा सार्वजनिक श्मशान हेतु आरक्षित किये जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री संजय सेन उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से श्री पी. सी. पालीवाल उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 06.09.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम दौलतपुरा एक छोटा सा मौजा है, जहां लगभग 15 परिवार ही निवास करते है और गांवाई श्मशान कदीम से इस आराजी के दक्षिण में आज भी स्थित है, जिसका उपयोग कर रहे है और पिढ़ीयों से काम ले रहे है नए सिरे से कोई श्मशान की आवश्यकता ही नही है, सिर्फ रंजिश वश परेशान करने की बदनियती से यह गलत आदेश करवाया गया है। उक्त भूमि रिक्त नहीं है, क्योंकि अपीलांट्स इस पर लगभग 50 वर्ष से काबिज होकर काश्त कर रहे है, इसका प्रमाण यह है कि आरक्षण सन् 2014 में करना बताया गया है, जबकि तहसीलदार, रावतभाटा ने इस भूमि पर अपीलांट्स का अनाधिकृत कब्जा होने व मक्का की फसल बोने बाबत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के अंतर्गत अनाधिकृत कब्जा करने का नोटिस दिनांक 29.09.2017 को देकर कब्जा स्वीकार किया जिसका मुकदमा नम्बर 444 / 2017 ना. क. है, ऐसी अवस्था में यह स्पष्ट है कि अपीलांट्स

की कब्जेशुदा भूमि से जब तक नियमानुसार बेदखल नही किया जाता, वह कैसे आरक्षित हो सकती है, क्योंकि सन् 2017 तक तो अपीलांट्स का कब्जा सरकार ने भी माना है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के आदेश क्रमांक/राजस्व/12–6(13)14/1622 दिनांक 30.09.2014 में वर्णित उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा की अभिशंषा एंव संबंधित ग्राम पंचायत की अनापत्ति अनुसार सार्वजनिक श्मशान हेतु भूमि आरक्षित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.2014 नियमानुसार होकर उचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2 ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा के प्रस्ताव व अभिशंषा अनुसार राजकीय नियमों के अंतर्गत उक्त आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.04.2021 नियमानुसार होकर उचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि किसी भी अपील प्रकरण में आदेश 41 जाप्ता दीवानी के तहत अपील प्रस्तुत करने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय के पक्षकारों का ही होता है, अन्यथा किसी भी पक्षकार को न्यायालय की अनुज्ञा दफा 96 जा.दी. के तहत प्रस्तुत कर ही अपील प्रस्तुत किये जाने का अधिकार रहता है। दफा 96 जाप्ता दीवानी आवेदन में अपीलाण्ट को पृथक से आवेदन प्रस्तुत कर

प्रकरण में आवश्यक, हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार होने के कारण दर्शित करते हुए न्यायालय की अनुज्ञा प्राप्त कर ही वह अपील प्रस्तुत कर सकता है। इस प्रकरण में दफा 96 जाप्ता दीवानी के आख्यापक प्रावधानों के तहत कोई आवेदन अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा कोई आवेदन दफा 96 जाप्ता दीवानी का प्रस्तुत कर न्यायालय की अनुज्ञा प्राप्त किये बिना जो अपील प्रस्तुत की गयी है, वह विधि के आख्यापक प्रावधानों के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्‌तर हो।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर